

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) 4238

थाना कांड सं.- 215, वर्ष- 2019, थाना- नवगछिया, जिला- भागलपुर, से उत्पन्न

=====

अमित कुमार मंडल @ लुचो मंडल, पिता- स्वर्गीय बैजनाथ मंडल, गाँव- नवादा, थाना-
नवगछिया, जिला- भागलपुर

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/गण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अमरेंद्र कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री ए.एम.पी. मेहता, सा.लो.अ.

=====

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- भारतीय दंड संहिता की धाराएं 304(बी)/34

याचिका- वह निर्णय जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी)/34 के तहत दोषी ठहराया गया था।

निर्णय- यह मान भी लिया जाए कि यह एक प्रेम विवाह था, फिर भी हत्या सात वर्षों के भीतर हुई थी। इसके अलावा, प्रत्येक अभियोजन पक्ष के गवाह ने यह बयान दिया कि घटना

से ठीक पहले मृतका ने सूचित किया था कि अपीलकर्ता मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और उसकी पूर्ति न होने के कारण यह हत्या हुई। (पैरा 28)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से गला घोटने के संकेत हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था। (पैरा 29)

जब जांच अधिकारी ने घटना स्थल का दौरा किया, तो आरोपी व्यक्ति घटना के बावजूद मौके से अनुपस्थित थे। इतना ही नहीं, जिस पलंग पर मृतका को रखा गया था, उसके अलावा उस कमरे में एक भी सामान मौजूद नहीं था। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आरोपियों ने जानबूझकर घटना के तुरंत बाद नहीं भागा, बल्कि भागने से पहले संपत्ति और घरेलू सामान हटाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिला। (पैरा 30)

मृतका के अवशेषों का अंतिम संस्कार न तो मृतका के पिता ने किया और न ही आरोपी पक्ष ने, बल्कि यह अनुष्ठान एक 'बाबा' द्वारा किया गया। (पैरा 31)

अपीलकर्ता निचली अदालत के निष्कर्षों को खारिज करने में विफल रहा, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया। (पैरा 33)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 34)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

दिनांक: 27-02-2025

अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री अमरेंद्र कुमार और राज्य की ओर से श्री ए.एम.पी. मेहता, स.लो.अ. को सुना।

2. वर्तमान अपील विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय नवगछिया, भागलपुर द्वारा सत्र परीक्षण सं. 213/2020 में पारित दिनांकित 16.08.2023/19.08.2023

के दोषसिद्धि/सजा के आदेश और निर्णय के खिलाफ निर्देशित किया गया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भ.द.सं. की धारा 304 (बी)/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई है:

क्रमांक संख्या	याचिकाकर्ता का नाम	सजा	जुर्माना	जुर्माने की चूक में
1.	अमित कुमार मंडल	भ. द. सं. की धारा 304 (बी) के तहत दस साल के लिए कठोर कारावास (आर. आई.) की सजा	एनए	एनए

3. इससे पहले, समन्वय पीठ द्वारा इस मामले को दिनांक 13.12.2023 को ग्रहण किया गया था और विचारण न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी थी जो अब प्राप्त हो गया है।

4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार **मृतका के पिता बबलू मंडल** को दिनांक **02.07.2019** को सूचना मिली कि उसकी बेटी की उसके पति/ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी चारपाई पर पड़ी है और उसके गले पर निशान हैं, जबकि सभी आरोपी/ससुराल वाले गायब हो चुके हैं। आरोप है कि मोटरसाइकिल के अभाव में उसकी हत्या कर दी गई है। इसके चलते एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

5. पुलिस ने मामले की जांच की और 30.11.2019 को एकमात्र अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 304(बी)/34 के तहत आरोप पत्र दायर किया, जबकि अन्य आरोपियों के संबंध में जांच जारी रखी। 05.12.2020 को आरोप तय किए गए और अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ।

6. अभियोजन पक्ष ने मामले के समर्थन में छह गवाहों को प्रस्तुत किया:

अ.सा.-1:- मनीष कुमार (सुचक के भाई)

अ.सा.-2:- राज कुमार मंडल (सुचक के भाई)

अ.सा.-3:- बबलू मंडल (सुचक)

अ.सा.-4:- डॉ. राकेश झा (डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया)

अ.सा.-5:- अजय कुमार (आई. ओ)

अ.सा.-6:- उमेश यादव (आई. ओ)

7. बचाव पक्ष भी एकमात्र गवाह अर्थात् कंचन देवी की गवाही कराड़ है ।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शों को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है:

प्रदर्श 01:- मनीष कुमार द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श 02:- राज कुमार मंडल द्वारा जाँच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श 03:- एल.टी.आई. की पहचान बबलू मंडल अ.सा.-3 द्वारा फर्दबयान पर की गई और फर्दबयान पर विवेकानंद मंडल के हस्ताक्षर की भी पहचान की गई।

प्रदर्श 04:- अ.सा. -04 ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है।

प्रदर्श पी5:- आरोप पत्र पर अजय कुमार अ.सा.-5 द्वारा हस्ताक्षर की चिन्हित/पहचान की गई।।

प्रदर्श पी5/1:- अजय कुमार अ.सा.-5 द्वारा उसी आरोप पत्र पर पुलिस उप-निरीक्षक-सह-प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर की पहचान की गई।

प्रदर्श पी-6:- प्रभारी अधिकारी-सह-एस. एच.ओ.-राज कपूर कुशवाहा के औपचारिक एफ.आई.आर. पर अजय कुमार पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा चिन्हित हस्ताक्षर।

प्रदर्श पी-7:- अ.सा.-1 मनीष कुमार, राज कुमार मंडल, श्रीकांत चौधरी (ए-एस.आई.) नवगछिया कैम्प, नवादा की जांच रिपोर्ट पर उमेश यादव (अ.सा.-6) द्वारा चिन्हित हस्ताक्षर।

9. जैसा कि दर्ज है, एकमात्र अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उस आरोप से इनकार किया जो उसे पढ़कर सुनाया गया था, इसलिए मुकदमा चलाया गया। अ.सा.-1 मनीष कुमार मृतक के चाचा हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया और उनके अनुसार, ग्रामीणों की सूचना पर, वे उस स्थान पर गए और अपनी भतीजी को मृत अवस्था में खाट पर पड़ा पाया। इसके बाद नवगछिया पुलिस आई और उनके भाई बबलू मंडल (अ.सा.-3) का बयान दर्ज किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और उन्होंने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 1) पर अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करते हुए कहा कि अपीलकर्ता मोटरसाइकिल की मांग करता था और जब वह मांग पूरी नहीं हुई, तो उसकी भतीजी की गला घोटकर हत्या कर दी गई।

10. अ.सा. -2 राजकुमार मंडल पुनः मृतक के चाचा हैं और उसका संस्करण भी वही है। उनके अनुसार, मृतक की गर्दन पर एक काला निशान था, जांच रिपोर्ट (प्रदर्श 2) पर

उनके हस्ताक्षर लिए गए थे और आगे यह कहा कि उसे कथित घटना से पहले मोटरसाइकिल की मांग के बारे में जानकारी थी और उसकी भतीजी ने भी चार दिन पहले सुचक को सूचित किया था कि उसकी हत्या की जा सकती है।

11. अ.सा.-3 सुचक और मृतक के पिता हैं। उनके अनुसार, जब उन्हें अपनी बेटी की हत्या की सूचना मिली तो वह घर पर थे। इसके बाद वे उस स्थान पर गए और देखा कि उसका शव एक खाट पर पड़ा हुआ था, जिस पर बंधन का संकेत/निशान था। उन्होंने फरदबायन पर अपने हस्ताक्षर किए और उसी की पहचान की (प्रदर्श 3)। अपनी प्रतिपरीक्षा में, अ.सा.-3 ने दर्ज किया कि वह कुछ महिलाओं सहित ग्रामीणों के साथ सूचना पर गाँव गया था। उन्होंने आगे कहा कि मोटरसाइकिल की मांग के बारे में भी मुखिया को सूचित किया गया था।

12. अ.सा.-4 डॉ. राकेश झा, अनुमण्डल अस्पताल, नवगछिया में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वह एक महत्वपूर्ण गवाह हैं जिन्होंने पोस्टमॉर्टम की और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट/शव परीक्षण रिपोर्ट इस प्रकार थी:

में दिनांक 02-07-2019 को एस.डी.एच, नवगछिया में पदस्थापित था ।

2. मैंने प्रीति कुमारी, उम्र - 22 वर्ष, पत्नी अमित कुमार @ लुचो मंडल, नवादा, थाना - नवगछिया जिला भागलपुर की 02-07-2019 को शाम 06:00 बजे जांच की।

गर्दन के बाह्य परीक्षण में, बाहरी गर्दन और निचले जबड़े पर कई चोट के निशान हैं।

थायरॉयड के बगल में खरोंच का आकार अधिक है।

ऊपरी और निचले होंठ में सूजन है।

छाती पर कई नीले रंग का मलिनकिरण है और शिराएँ बड़ी हैं।

विच्छेदन पर- गर्दन के वी आकार के विच्छेदन से घायल क्षेत्र के नीचे रक्त का अत्यधिक रिसाव दिखाई देता है। सामने और दोनों तरफ की मांसपेशियों में चोट का क्षेत्र। जीभ के आधार पर भी चोट है, सभी आंतरिक अंग अवरुद्ध हैं, जीवन यकृत, तिल्ली गुर्दे फेफड़े। हृदय का दाहिना कक्ष काले रक्त से भरा हुआ है और बायां कक्ष खाली है।

मृत्यु का कारण- गला घोटने के कारण श्वासावरोध।

मृत्यु के बाद से 6 से 18 घंटे का समय बीता है।

13. अपने बयान में, चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बाहरी जांच में, उन्हें गर्दन और जबड़े पर कई चोट के निशान मिले, थायरॉयड कार्टिलेज पर खरोंच के निशान थे और ऊपरी और निचले होंठ पर सूजन थी। इसके अलावा, छाती पर कई नीले रंग के धब्बे भी पाए गए। उन्होंने आगे बताया कि मौत का कारण **गला घोटने के कारण दम घुटना** था।

14. **अ.सा.-5 श्री अजय कुमार, सहायक उप-निरीक्षक** एक नवगछिया अन्य जाँच अधिकारी है जिसे पहले जाँच अधिकारी उमेश यादव (अ.सा.-6) से ही प्रभार मिला। जब उसने प्रभार लिया, जानकारी मिली कि अपीलार्थी ने 21.08.2019 को आत्मसमर्पण कर दिया है और न्यायिक हिरासत में है। इसके बाद **भ.द.सं.** की धारा **304 (बी)/34** के तहत 30.11.2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की (**प्रदर्श पी/5**)। उन्होंने आगे पुलिस निरीक्षक-सह- प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर (**प्रदर्श 5/1**) और और थाना-प्रभारी, राज कपूर कुशवाहा के हस्ताक्षर (**प्रदर्श पी/6**) की पहचान की।

15. **अ.सा.-6 उमेश यादव** हैं, जो पहले जांच अधिकारी हैं, जो संबंधित समय में नवगछिया पुलिस स्टेशन में तैनात थे और उन्हें थाना-प्रभारी, नवगछिया , राज कपूर

कुशवाहा द्वारा जांच का प्रभार सौंपा गया था। उसके अनुसार, प्रभार मिलने पर, वह गला घोटने के कारण एक लड़की की हत्या की सूचना के बाद उस घटना स्थल पर चला गया। उन्होंने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और बबलू मंडल (सुचक) के बयान के साथ-साथ मनीष मंडल का बयान भी लिया। उन्होंने अ.सा. मनीष कुमार, राजकुमार मंडल, श्रीकांत मंडल (प्रदर्श पी-7) के हस्ताक्षर की पहचान की।

16. दूसरी ओर बचाव पक्ष ने **कंचन देवी (डीडब्लू-1)** को पेश किया। उसके अनुसार, जोड़े ने प्रेम विवाह किया था और खुशी-खुशी रह रहे थे। हालाँकि, चूँकि सुचक पक्ष प्रेम विवाह से नाखुश था, इसलिए लड़की जब भी माता-पिता से बात करती थी, तो उदास हो जाती थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसने महिला को गांठें बांधते हुए पाया, उससे ऐसा न करने का अनुरोध किया और फिर अपने घर चली गई। बाद में उसे उसकी मौत के बारे में पता चला।

17. जांच अधिकारी ने घटनास्थल दर्ज कर लिया है। उनके अनुसार, उन्हें टिन की छत वाला एक लंबा कमरा मिला और जिस चारपाई पर शव मिला था, उसे छोड़कर बाकी सब आरोपी पक्ष ने हटा दिया था।

18. बचाव पक्ष ने अ.सा. के बयान पर ध्यान दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि उनके बीच कोई एकरूपता नहीं है और इस तरह, जब उनमें से किसी ने भी वास्तव में घटना को नहीं देखा है, उस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी राहत का हकदार है क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

19. विचरण न्यायालय के समक्ष विद्वान सा.लो.अ. ने इसका विरोध किया और समर्पित किया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो रिकॉर्ड में आई है और डॉक्टर का बयान भी अभियोजन पक्ष की कहानी का पूरी तरह से समर्थन करता है। उनके अनुसार, लड़की द्वारा अपनी माँ को यह सूचित करने के कुछ दिनों के भीतर कि उसे दहेज नहीं देने के कारण मार

दिया जा सकता है, हत्या हुई जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। घटना का स्थान भी उक्त हत्या का प्रमाण है। उन्होंने डी. डब्ल्यू.-1 के बयान पर भी ध्यान दिया है कि उनसे अपीलकर्ता की भाभी द्वारा अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए कहा गया था और उसने जो कुछ भी सुनाया है, उसे उसके द्वारा बयान दिया गया है।

20. मामले के तथ्यों को देखने के बाद, विद्वत निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हत्या शादी के सात साल के भीतर मोटरसाइकिल नहीं देने के कारण हुई थी। इसके अलावा, उसे नियमित रूप से पीटा जाता था और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष के गवाह के बीच मामूली अंतर अपीलार्थी को संदेह का लाभ देने कारण नहीं हो सकता है।

21. इस पृष्ठभूमि में, विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.08.2023 के आदेश के द्वारा अपीलकर्ता को भ.दं.सं. की धारा 304(बी)/34 के तहत दोषी ठहराया और दिनांक 19.08.2023 के आदेश के तहत उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

22. व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की गयी है ।

23. अपीलकर्ता के मामले में जैसा की श्री अमरेंद्र कुमार द्वारा बताए गया है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। मृत्यु की जानकारी होने पर वे पहुंचे, लेकिन विवाह या हत्या के संबंध में वास्तविक तिथि पर एकमत नहीं हैं। आगे दलील यह है कि वास्तव में लड़की माता-पिता के रवैये से उदास थी क्योंकि उसने प्रेम विवाह किया था और जब भी वह माता-पिता से बात करती थी, तो उदास रहती थी।

24. उन्होंने आगे कहा कि डीडब्ल्यू-1 के बयान से स्पष्ट है कि वह पति/ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। इसके अलावा, यह प्रेम विवाह था, इसलिए मोटरसाइकिल मांगने का कोई कारण नहीं था।

25. वह निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय इन पहलुओं पर गौर करने में पूरी तरह से विफल रहा और अपीलार्थी को भ. द. सं. की धारा 304 (बी)/34 के तहत दस साल के कठोर कारावास का दोषी ठहराया, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वह दिनांक 21.08.2019 के बाद से हिरासत में है जिसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

26. दूसरी ओर विद्वान ए.पी.पी. अपील का विरोध करता है और निम्नानुसार प्रस्तुत करता है:

- i) विवाह के सात वर्षों के भीतर हत्या की गई;
- ii) मोटरसाइकिल की मांग थी और सभी गवाह इस बात पर एकमत हैं कि घटना से सिर्फ चार दिन पहले, उसने अपनी माँ को सूचित किया था कि मोटरसाइकिल प्रदान करने में विफल रहने पर, उसकी हत्या की जा सकती है।
- iii) जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, तो प्रत्येक आरोपी भाग गया था, कमरा खाली था सिवाय उस खाट के जिस पर मृतक को रखा गया था।
- (iv) कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अभियोजन पक्ष को पता चले कि महिला की हत्या नहीं हुई बल्कि आत्महत्या की है;
- v) डॉक्टर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से साबित करती है कि यह न केवल गला घोटने का मामला है, बल्कि इससे पहले भी हमला किया गया था क्योंकि होंठों पर चोट लगी थी और छाती का रंग नीला था।

27. उन्होंने दलील दी कि बचाव पक्ष डीडब्लू-1 के बयान के अलावा कुछ भी साबित करने में विफल रहा, जो अविश्वसनीय है क्योंकि उसके अनुसार उसने स्वीकार किया कि महिला ने वही बयान दिया जो अपीलकर्ता की भाभी ने उसे बताया था। उस पृष्ठभूमि में, न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

28. इस न्यायालय ने पक्षों को विस्तार से सुना है और निचली अदालत के रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है। विद्वान ए.पी.पी. द्वारा उठाए गए बिंदु विचार करने योग्य हैं। यह मानते हुए भी कि यह एक प्रेम विवाह था, हत्या सात साल के भीतर हुई। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के प्रत्येक गवाह ने बताया है कि घटना से ठीक पहले, मृतक ने सूचित किया था कि अपीलकर्ता मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और उसे पूरा न करने के कारण हत्या हुई।

29. अदालत आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अपनी नज़रें नहीं हटा सकती है जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि गला घोटने के निष्कर्षों के अलावा, डॉक्टर को उनके होंठ और छाती का नीला रंग पर भी चोट के निशान मिले। अनुमंडलीय अस्पताल, नवगछिया में तैनात डॉक्टर (अ.सा.-4), जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह गला घोटने के कारण दम घुटना है।

30. दूसरी ओर बचाव पक्ष अनुमण्डल अस्पताल, नवगछिया के डॉक्टर के निष्कर्षों पर अविश्वास करने के लिए किसी भी कारन के साथ आगे नहीं आया है। यह न्यायालय इस तथ्य को और नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि जब जांच अधिकारी ने घटना स्थल का दौरा किया था, तो आरोपी व्यक्ति अनुपस्थित थे। यह इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इतना ही नहीं, जिस खाट पर मृतक को रखा गया था, उसे छोड़कर उक्त कमरे में एक भी वस्तु मौजूद नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से उनकी भूमिका की ओर उंगली उठाता है क्योंकि आरोपी अचानक घटना स्थल से नहीं निकले, कि भागने से पहले उन्होंने घर की सभी सामग्री को हटाने में काफी समय लिया।

31. इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पार्थिव शरीर को न तो मृतक के पिता द्वारा और न ही आरोपी पक्ष द्वारा अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन उक्त अनुष्ठान एक 'बाबा' द्वारा किए गए थे।

32. डीडब्लू-1, कंचन देवी एक अविश्वसनीय गवाह है। सबसे पहले, उसने यह बयान दिया कि महिला को गांठें लगाते हुए देखकर उसने उससे ऐसा न करने का अनुरोध किया और फिर घर चली गई। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी समझदार व्यक्ति या तो महिला को अपने साथ ले जाता या फिर परिवार के कुछ सदस्यों के आने तक उसके साथ मौजूद रहता। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में कोई भी महिला को अकेला नहीं छोड़ सकता जब किसी मासूम की जान दांव पर लगी हो। इससे यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि यह एक रटायी हुआ संस्करण है जिसे उसने भी अपने बयान में स्वीकार किया है।

33. इस प्रकार न्यायालय का मन्तव्य है कि अपीलकर्ता विचरण न्यायालय के निष्कर्षों जिस द्वारा उसे दोषी ठहराया गया को आक्षेप करने में निष्फल रहा। इस पृष्ठभूमि में, सत्र परीक्षण संख्या 213/2020 में पारित विद्वान विचरण न्यायालय के दिनांक 16.08.2023/19.08.2023 के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

34. अपील खारिज की जाती है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

विनायक/-